



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर श्री/श्रीमती
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प श्री/श्रीमती

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुरती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी क.न.ल.का.सु.पु.पे.का व भू.अभि.नि. श्री/श्रीमती की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार श्री/श्रीमती की अनुशंघा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम व.त.का.का.सु.पु.पे.का तहसील श्री/श्रीमती व जिला व.न.राज.म.स. की जमाबंदी सम्वत् 2076-78 में खाता संख्या 22, 28, 53 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
L	<u>व.त.का.का.सु.पु.पे.का</u>	22	<u>एडमनलाल पुत्र पेमा</u>	<u>एडमनलाल पुत्र</u>
	—	28	<u>प्रेमानाम पुत्र पेमा</u>	<u>प्रेमानाम पुत्र</u>
	—	53	<u>एडमनलाल पुत्र पेमा</u>	<u>—</u>
	—	55	<u>एडमनलाल पुत्र पेमा</u>	<u>—</u>
	—	56	<u>एडमनलाल पुत्र पेमा</u>	<u>—</u>

(श्री/श्रीमती)
 सहायक कलक्टर एवं
 पीठासीन अधिकारी,
 उपखण्ड अधिकारी, भीम
 लोक अदालत,
 जिला-राजसमन्
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा.कलक्टर
 दिनांक:-

क्रमांक:- 10020/112

प्रतिलिपि:-

01. तहसीलदार श्री/श्रीमती को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
02. प्रार्थी श्री एडमनलाल पुत्र पेमा को सूचनार्थ।
03. रक्षित पत्रावली।

(श्री/श्रीमती)
 पीठासीन अधिकारी
 सहायक कलक्टर एवं
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी, भीम
 उपखण्ड अधिकारी,
 जिला-राजसमन्
 पदेन सहा.कलक्टर